

इंदौर विकास प्राधिकरण

बनाम

श्रीकृष्णा ऑयल मिल्स तथा अन्य

12 अप्रैल, 2005

[रूमा पाल और सी. के. ठक्कर, न्यायमूर्तिगण]

शहरी विकास:

मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973-धारा 50-विकास योजना- विरचना का प्रस्ताव- अधिनियम के तहत-सुधार न्यास के समक्ष योजना के खिलाफ आपत्तियां दायर- विकास प्राधिकरण का गठन और अधिनियम के लागू होने पर न्यास का विघटन-प्राधिकरण द्वारा नई आपत्तियां आमंत्रित-आपत्तियां प्रस्तुत की गई- आक्षेपकर्ता को सुनने के बाद योजना अनुमोदित-पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा भी अनुमोदन- योजना को आक्षेपकर्ता द्वारा प्रश्नगत किया गया-उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया -अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: योजना अवैध या गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि योजना को विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद अनुमोदित किया गया था।

मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 के तहत नगर विकास योजना तैयार करने के लिए सुधार न्यास द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। योजना पर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए अधिसूचना और व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए थे। प्रतिवादियों द्वारा आपत्तियाँ दायर की गईं। इस बीच मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 लागू हुआ जिसके तहत विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई और सुधार न्यास को भंग कर दिया गया। विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के खिलाफ आपत्तियों के संबंध में आक्षेपकर्ता को नोटिस जारी किया गया। आक्षेपकर्ताओं ने प्राधिकरण के पास नए सिरे से आपत्तियां दायर कीं। प्राधिकरण ने विरोधियों को सुनने और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, अधिनियम की धारा 50 के अनुसार योजना को मंजूरी दी। इसके बाद धारा 04 तथा 06 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई तथा धारा 09 के तहत प्रतिवादियों को संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए एक नोटिस भी जारी किया गया था। उत्तरदाताओं ने अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी/आक्षेपकर्ताओं को अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष जाने की अनुमति देकर याचिकाओं का निपटारा किया। अपीलार्थी-प्राधिकरण ने रिट अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने प्रतिवादियों

द्वारा दायर पुनरीक्षण को यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि योजना को प्राधिकरण द्वारा नियमों के अनुसार और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिसूचित किया गया था।

विकास प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादियों ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मदनलाल व अन्य [1990] 2 एससीसी 334 के आधार पर याचिका और अन्य याचिकाओं को भी मंजूरी दी।

इस न्यायालय के समक्ष की गई अपील में अपीलार्थी-प्राधिकरण द्वारा तर्क दिया कि चूंकि प्राधिकरण ने अधिनियम के तहत सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया था, ऐसी योजना को अवैध, गैरकानूनी या अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता था और मदन लाल का मामला वर्तमान मामले में लागू नहीं था।

प्रतिवादी/आक्षेपकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्राधिकरण को अधिनियम के तहत नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये थी, क्योंकि न्यास अधिनियम द्वारा परिकल्पित कोई 'मसौदा योजना' नहीं थी, इसलिए प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती थी।

अपीलों को अनुमत करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. वर्तमान मामले में प्राधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया। नोटिस जारी किए गए, आपत्तियां प्रस्तुत की गईं और प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया गया और उसके बाद निर्णय लिया गया। चूंकि इस मामले में उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया था; इसलिए प्रकृति न्याय के सिद्धांतों का भी पालन किया गया था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों द्वारा की गई कार्रवाई अवैध या गैरकानूनी थी। चूंकि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने विकास के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा व प्राधिकरण की कार्रवाई को अनुमोदित करते हुए पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। नतीजतन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गईं और कानून के अनुसार प्रकाशित की गईं। उन कार्यों को भी अवैध नहीं कहा जा सकता है। यह योजना अवैध या गैरकानूनी नहीं थी।

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मदनलाल व अन्य [1990]

2 एससीसी 334, को विभेदित किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 2547/2005

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1356/1998
मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.2.2002 से व्युत्पन्न

के साथ

सिविल प्रार्थना पत्र संख्या 2548-2552/2005

अपीलार्थियों के लिये:- इसके गंभीर व साथ में बीके शर्मा, अवनीश सिन्हा और संजय कपूर

प्रतिवादियों के लिये:- एम. एन. कृष्णमणि साथ में जसपाल सिंह, बी. एस. बंधिया, आर. एन. केशवानी, राम लाल रॉय, के. वी. विश्वनाथन, आनंद, अभिषेक कुमार, डी. भरत कुमार, अभिजीत सेनगुप्ता, सतीश के. अग्निहोत्री, रोहित के. सिंह और अमित मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

इन सभी अपीलों में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कई रिट याचिकाओं में पारित सामान्य निर्णय और आदेशको इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत किया गया है। प्रश्नगत आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं- इस न्यायालय में प्रतिस्पर्धी प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया- और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी 5 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी 23 जनवरी, 1984 की अधिसूचना और निदेशक, नगर और देश योजना, भोपाल द्वारा 10

अगस्त, 1998 को पारित एक आदेश को भी अपास्त करते हुए रद्द कर दिया गया।

अपीलों के वर्तमान समूह में उठाए गए विवाद को स्पष्ट करने के क्रम में निम्न तथ्य प्रासंगिक हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 (जिसे यहाँ के पश्चात "न्यास अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अनुसार इंदौर के मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार की गई नगर विकास योजना संख्या 78 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि 9 नवंबर, 1976 को सुधार न्यास द्वारा योजना संख्या 78 तैयार करने के लिए प्रस्ताव संख्या 196 पारित किया गया था। न्यास अधिनियम की धारा 46 के तहत एक अधिसूचना 7 जनवरी, 1977 को जारी की गई थी, जिसमें नोटिस के प्रकाशन के साठ दिनों के भीतर योजना के खिलाफ आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। न्यास अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यकतानुसार प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किया गया था। 1 जुलाई, 1977 द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने आपत्तियां दायर की गईं। हालाँकि, यहाँ इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना उचित है कि 16 मार्च, 1973 को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ के पश्चात

"अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को लागू कर दिया गया। न्यास अधिनियम के तहत ऐसी आपत्तियों पर विचार सुधार न्यास को करना था। हालाँकि, अधिनियम के तहत विकास प्राधिकरण को आपत्तियों पर विचार करना था। यद्यपि अधिनियम 1973 में लागू हुआ, इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना 13 जुलाई, 1977 को ही अधिनियम के तहत की गई थी और सुधार न्यास को भंग कर दिया गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए योजना संख्या 78 के खिलाफ आक्षेपकर्ताओं को उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में 22 अगस्त, 1977 को एक नोटिस जारी किया गया था। यह कहा गया था कि सुनवाई 31 अगस्त, 1977 को होगी। उक्त नोटिस के अनुसार, याचिकाकर्ताओं और अन्य आक्षेपकर्ताओं द्वारा 3 सितंबर, 1977 को एक बार पुनः आपत्तियां दायर की गईं। सभी आपत्तियों पर दिनांक 3 सितंबर, 1977 को विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया। 20 जनवरी, 1978 को अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना संख्या 64 के माध्यम से योजना का अनुमोदन किया गया। यह योजना 2 फरवरी, 1978 को दो स्थानीय समाचार पत्रों "नई दुनिया" और 3 फरवरी, 1978 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित हुई थी। इसे 10 फरवरी, 1978 को आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना 5 अप्रैल, 1983 को जारी की गई थी और 29 अप्रैल, 1983 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की

गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना 23 जनवरी, 1984 को जारी की गई थी और 9 मार्च, 1984 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए कहा गया था। इसलिए अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका जिसका नंबर रिट याचिका संख्या 552/ 1986 है, दायर की गई। पक्षकारों को सुनने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 51 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण अर्थात् निदेशक, नगर और देश योजना के समक्ष जाने की अनुमति देकर याचिका का निपटारा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण का विचार में संविधान की धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने में याचिकाकर्ताओं की ओर से भारी देरी हुई थी क्योंकि इस योजना को जनवरी 1978 में अनुमोदित किया गया था, तथा याचिका 1986 में दायर की गई थी। इसलिए उन्होंने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को पुष्ट करते हुए कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका पर विचार करने में कानून या अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि नहीं की थी और याचिकाकर्ताओं को पुनरीक्षण के वैकल्पिक उपचार को प्रयोग में लेने की अनुमति प्रदान की गई।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने निदेशक, नगर और देश योजना (पुनरीक्षण प्राधिकरण) के समक्ष प्रतिवेदन किया, जिसने दिनांक 10 अगस्त, 1998 के अपने आदेश द्वारा पुनरीक्षण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि योजना को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अनुसार अधिसूचित किया गया था और आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया था। इसलिए इस कार्रवाई को अवैध या गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ताओं की ओर से इसका प्रतिवाद किया गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदु अब अनिर्णीत नहीं रह गये थे, तथा उक्त बिंदुओं को इस न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) के एक निर्णय *इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मदनलाल व अन्य* [1990] 2 एससीसी 334 द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जा चुका है। यह आग्रह किया गया कि लगभग इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा मसौदा योजना को मंजूरी देने के लिए की गई कार्रवाई को कानूनी और वैध नहीं ठहराया जा सकता है और इसे अपास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यास अधिनियम के तहत ऐसी कोई मसौदा योजना नहीं थी जिसका बचाव अधिनियम द्वारा किया जा सके और इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय के आलोक में, याचिका को अनुमत किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर प्रतिवादीगण- इस न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि *मदन लाल* का मामला भिन्न था तथा उक्त मामले में प्रकट किया गया मत हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। उक्त मामले में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा आपतियाँ आमंत्रित नहीं की गई थी, ना ही ऐसी आपतियों पर उक्त प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था। आपतियाँ सुधार न्यास द्वारा आमंत्रित की गई थी, परंतु इससे पहले की मसौदा योजना का प्रारूप तैयार किया जाता या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता, अधिनियम के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए सुधार न्यास को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद न्यास अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। अधिनियम के तहत जो कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, वे नहीं की गईं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि *मदन लाल* का मामला हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता था। यह कहा गया था कि हस्तगत प्रकरण में न्यास अधिनियम के तहत सुधार न्यास द्वारा जनवरी, 1977 में न्यास की धारा 46 के तहत एक अधिसूचना जारी करके आपतियाँ आमंत्रित की गई थीं। प्रभावित व्यक्तियों को 5 मई, 1977 को सुधार अधिनियम द्वारा न्यास अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत नोटिस भी जारी किए गए थे और प्रभावित व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 1977 को

आपतियां दायर की गई थीं। 13 जुलाई, 1977 को अधिनियम के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई और सुधार न्यास को भंग कर दिया गया। लेकिन इसके बाद 22 अगस्त, 1977 को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा आपतियां आमंत्रित की गईं और सुनवाई 31 अगस्त, 1977 को तय की गई। उक्त नोटिस के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं द्वारा 3 सितंबर, 1977 को आपतियां दायर की गईं। इस पर विचार किया गया और योजना को मंजूरी दी गई। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना को मंजूरी देने के लिए की गई कार्रवाई को अवैध नहीं कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को बरकरार रखते हुए और यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में और मदन लाल के मामले में तथ्य "सभी मामलों में समान थे" कहा कि वह "तथ्यों पर कोई विशिष्ट विशेषता" खोजने में असमर्थ था और कहा कि याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार, इसकी अनुमति दी गई। अन्य याचिकाओं को भी अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय के सामान्य आदेश को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।

हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

अपीलार्थी-इंदौर विकास प्राधिकरण के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करने

में कानून की घोर त्रुटि की है, जिसमें मामले को *मदन लाल* मामले में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता निर्धारित किया गया। विद्वान वकील के अनुसार, *मदन लाल* वाला मामला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हस्तगत मामले से स्पष्ट रूप से अलग था कि उस मामले में योजना का मसौदा सुधार न्यास द्वारा तैयार किया गया था और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिए जाने से पहले, इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। प्राधिकरण ने तब नोटिस जारी किए बिना, विरोध करने वालों से आपत्तियां आमंत्रित किए बिना और उन आपत्तियों पर निर्णय लिए बिना उस योजना को आगे बढ़ाया। इस मामले में, न्यास अधिनियम के तहत सुधार न्यास द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। विरोध करने वालों द्वारा आपत्तियाँ दायर की गईं लेकिन कोई मसौदा योजना तैयार नहीं की गई। इसे न्यास अधिनियम के तहत अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था। 13 जुलाई, 1977 को अधिनियम के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद, विकास प्राधिकरण द्वारा अगस्त, 1977 में फिर से नोटिस जारी किए गए। वे नोटिस याचिकाकर्ताओं को प्राप्त हुए थे। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। सुनवाई तय की गई, आपत्तियों को सुना गया और निर्णय लिया गया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम के तहत की जाने वाली सभी आवश्यक कार्रवाई विकास प्राधिकरण द्वारा की गई थी और योजना को तैयार और अंतिम रूप दिया

गया था। इस तरह की योजना को अवैध, गैरकानूनी या अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए *मदन लाल* मामला लागू नहीं होता है। विद्वान वकील के अनुसार, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने विकास प्राधिकरण की ओर से उठाई गई दलीलों पर विचार किया और उन्हें नकार दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि स्वीकृत रूप से न्यास अधिनियम के तहत सुधार न्यास द्वारा 5 मई, 1977 को नोटिस जारी किए गए थे। यह विवाद में नहीं है कि उस दिन अधिनियम के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना नहीं की गई थी। इसकी स्थापना 13 जुलाई, 1977 को हुई थी। यदि इंदौर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत कार्यवाही करना चाहता था, तो उसे सभी कार्यवाही नए सिरे से शुरू करनी चाहिए थी क्योंकि न्यास अधिनियम द्वारा परिकल्पित कोई 'मसौदा योजना' नहीं थी और विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए, विकास प्राधिकरण की सभी कार्यवाहियां कानून के विपरीत थीं और न्यास अधिनियम के तहत एक योजना में समाप्त नहीं हो सकती थी। यह निवेदन किया गया कि *मदन लाल* वाले मामले में, इस न्यायालय ने दोनों अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

अधिनियम के तहत योजना को तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना कानूनी और वैध नहीं था। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है।

प्रकरण के पक्षों की दलीलों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, दोनों अधिनियमों अर्थात् न्यास अधिनियम और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखना उचित होगा। न्यास अधिनियम अर्थात् मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 15 मार्च, 1973 तक लागू था। उस अधिनियम में, "योजना" को "नगर नियोजन या नगर सुधार योजना" के रूप में परिभाषित किया गया था। "न्यास" को धारा 4 के तहत गठित "सुधार न्यास" के रूप में परिभाषित किया गया था। अध्याय 2 (धारा 4 से 15) में न्यास और न्यास के अधिकारियों के गठन का प्रावधान किया गया है। अध्याय IV (धारा 30 से 65) सुधार योजना से संबंधित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषय शामिल हैं - सुधार योजनाएं, योजनाओं का वर्गीकरण, योजनाएं बनाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदि। धारा 46 में सुधार योजना और आवेदकों को दस्तावेजों की आपूर्ति के बारे में सूचना तैयार करने, प्रकाशित करने और प्रेषित करने का प्रावधान है। धारा 48 में भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी। धारा 55 से 60 में सुधार योजनाओं के निष्पादन में सुधार न्यास की शक्तियाँ और कर्तव्यों से

संबंधित प्रावधान शामिल थे। अध्याय 5 (धारा 66 से 83) में भूमि अधिग्रहण और निपटान के बारे में प्रावधान हैं।

अधिनियम अर्थात् मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 16 मार्च, 1973 को लागू हुआ जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था। "स्थानीय प्राधिकरण" को मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 द्वारा या उसके तहत गठित नगर निगम; मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 द्वारा या उसके तहत गठित नगर परिषद या नगर पंचायत या विकास प्राधिकरण या मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत के रूप में परिभाषित किया गया है। "नगर विकास योजना" को एक ऐसी योजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे नगर व देश विकास प्राधिकरण द्वारा विकास योजना के प्रावधानों को लागू करने के लिये तैयार किया गया है, जिसमें योजना सम्मिलित है। नगर व देश विकास प्राधिकरण का अर्थ है, अधिनियम की धारा 38 के तहत स्थापित प्राधिकरण। अध्याय III क्षेत्रीय योजना से संबंधित है और अध्याय IV और V योजना क्षेत्रों, विकास योजनाओं और क्षेत्रीय योजना से संबंधित है। अध्याय VII में नगर और देश विकास प्राधिकरण की स्थापना और नगर विकास योजनाओं की तैयारी का प्रावधान है। इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम की धारा 38 के तहत की गई थी।

धारा 50 नगर देश विकास प्राधिकरण को एक योजना तैयार करने अधिकार देती है तथा निम्नानुसार प्रावधान करती है -

" 50. नगर विकास योजनाओं की तैयारी - (1) नगर और देश विकास प्राधिकरण किसी भी समय नगर विकास योजना तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकता है।

(2) योजना बनाने के आशय की इस तरह की घोषणा की तारीख से तीस दिनों के बाद, नगर और देश विकास प्राधिकरण राजपत्र में घोषणा प्रकाशित करेगा और इस तरह अन्य तरीका जो विहित किया जाए।

(3) उप-धारा (2) के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर नगर और देश विकास प्राधिकरण मसौदा रूप में एक नगर विकास योजना तैयार करेगा। उक्त विकास योजना के मसौदे के संबंध में ऐसी तारीख से पहले जो उसमें निर्दिष्ट की जाए, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन पहले की नहीं हो।

(4) नगर और देश विकास प्राधिकरण उप-धारा (3) के तहत सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा और इससे

प्रभावित इच्छुक व्यक्ति को एक उचित अवसर देने के बाद सुनवाई करते हुए या उप-धारा (5) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मसौदा योजना को प्रकाशित रूप में अनुमोदित करेगा या उसमें ऐसे संशोधन करेगा है जो वह उचित समझे।

(5) जहाँ नगर विकास योजना भूखंडों के पुनर्गठन से संबंधित है, वहाँ नगर और देश विकास प्राधिकरण उप-धारा (4) के प्रावधानों के होते हुए भी उप-धारा (3) के तहत प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को सुनने के उद्देश्य से एक समिति का गठन करेगा है जिसमें उक्त प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे तथा दो अन्य सदस्य जिनमें से एक मध्य प्रदेश आवास बोर्ड का प्रतिनिधि होगा और दूसरा लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी होगा जो लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा नामित एक कार्यकारी अभियंता के पद से कम नहीं होगा।

(6) उप-धारा (5) के तहत गठित समिति आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी और ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को सुनेगी और अपनी रिपोर्ट नगर और देश विकास प्राधिकरण

को ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेंगी इसके द्वारा तय किया गया हो व साथ में निम्न से संबंधित प्रस्ताव दिये जायेंगे-

(i) सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवंटित या आरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित और सीमांकन करने हेतु

(ii) पुनर्गठित भूखंडों का सीमांकन करने हेतु

(iii) मूल और पुनर्गठित भूखंडों के मूल्य का मूल्यांकन करने हेतु

(iv) यह निर्धारित करने हेतु कि क्या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित क्षेत्र, योजना के अंतर्गत क्षेत्र के निवासियों के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से फायदेमंद है।

(v) योजना के लाभार्थियों से भूखंड का पुनर्गठन और जनता के लिए क्षेत्र के आरक्षण के लिये मुआवजे या योगदान का अनुमान और विभाजन करने हेतु

(vi) प्रत्येक पुनर्गठित भूखंड के मूल्य में वृद्धि का मूल्यांकन करने हेतु तथा भूखंड धारक पर देय विकास योगदान का आकलन करने हेतु

परंतु यह भी कि ऐसा योगदान मूल्य में वृद्धि के आधे से अधिक नहीं होगा।

(vii) किसी भी पुनर्गठित भूखंड के मूल्य में कमी का मूल्यांकन करने और इसके लिए देय मुआवजे का आकलन करने हेतु

(7) उप-धारा (4) के तहत नगर विकास योजना को संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद अनुमोदित नगर विकास योजना को लागू करने का तरीका व लागू होने की दिनांक को स्पष्ट करते हुए नगर और देश विकास प्राधिकरण राजपत्र में और ऐसे अन्य विकास प्राधिकरण में प्रकाशित करेगा।”

धारा 51 नगर और देश योजना के निदेशक को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। धारा 52 राज्य सरकार को जनहित में नगर और देश विकास प्राधिकरण को नगर विकास योजना तैयार करने या उसे रद्द करने के लिए निर्देश देने के लिए अधिकृत करती है। धारा 54 कतिपय परिस्थितियों में योजना के कालांतरित होने से संबंधित है।

धारा 87 में निरसन और बचत का प्रावधान है। उक्त प्रावधान का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

" 87. निरसन, बचत और संदर्भों का निर्माण।

(1) जिस तारीख से

(अ)

(ख)

(ग) किसी भी क्षेत्र के लिये नगर और देश विकास प्राधिकरण की स्थापना से उस क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात् -

(i) उक्त क्षेत्र के संबंध में मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 (1961 का सं. 14) अगले लागू नहीं रह जायेगा;

(ii) इस प्रकार स्थापित नगर और देश विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सुधार न्यास भंग हो जाएगा और कोई भी नगर सुधार योजना जो उक्त अधिनियम के तहत तैयार की गयी है, वह जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह इस अधिनियम के तहत तैयार की हुई मानी जायेगी;

(iii) नगर विकास न्यास की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां धारा 38 के तहत ऐसे नगर विकास न्यास के स्थान पर स्थापित नगर तथा देश विकास प्राधिकरण की परिसंपत्तियां और देनदारियां मानी जाएंगी।

(iiia).....

(iv).....

(v) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट न्यास में नगर सुधार से संबंधित सभी अभिलेख और दस्तावेजात धारा 38 के तहत स्थापित नगर और देश विकास प्राधिकरण में निहित होंगे तथा हस्तांतरित किये जायेंगे

(2) मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 (1961 का संख्यांक 14) (जिसे यहाँ के पश्चात "निरस्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के निरस्त हो जाने के बावजूद भी उपधारा 01 के खंड (ग) के उपखंड (i) के अंतर्गत-

(क) निरस्त अधिनियम की धारा 71 के तहत नगर सुधार न्यास में निहित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में मुआवजे से संबंधित सभी मामले जो निरसन की तारीख से तुरंत पहले नगर सुधार न्यास या जिला न्यायाधीश के न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उन्हें तुरंत निम्न द्वारा निपटाया जाएगा-

(i) धारा 38 के तहत ऐसे नगर सुधार न्यास का स्थान पर स्थापित नगर और देश विकास प्राधिकरण द्वारा;

(ii) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 1979 के लागू होने के बाद निरस्त अधिनियम की धारा 73 के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा;

(iii) जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा;

(iv) उच्च न्यायालय द्वारा;

जो मामलों को यथा परिस्थिति निरस्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटारेंगे मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था;

(ख) नगर और देश विकास प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, जिला न्यायाधीश का न्यायालय या उच्च न्यायालय, मामले की सुनवाई अथवा या निपटाने के लिए उसी स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं जिस स्तर पर ऐसे मामले अधिनियम के निरस्तीकरण के समय लंबित थे।”

मदन लाल के मामले में, इस न्यायालय को न्यास अधिनियम के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। उस मामले में, इंदौर सुधार न्यास का गठन न्यास अधिनियम के तहत किया गया था। न्यास ने उन व्यक्तियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करके योजना संख्या 72 तैयार की, जिनकी भूमि योजना को लागू करने के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था। कुछ व्यक्तियों ने आपत्तियाँ दायर कीं जिन

पर न्यास द्वारा विचार किया गया। न्यास अधिनियम के तहत, सुधार न्यास के पास योजना को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं था और इसे राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, योजना संख्या 72 को मंजूरी देने के लिए सरकार से संपर्क किया गया था। न्यास अधिनियम की धारा 51 राज्य सरकार को परिवर्तनों के साथ या उसके बिना योजना को मंजूरी देने या मंजूरी से इनकार करने या पुनर्विचार हेतु उसे वापस लौटाने हेतु सशक्त करती है। हालाँकि, सरकार पश्चातवर्ती स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। 17 जनवरी, 1977 को सुधार न्यास ने इसे प्राप्त आपत्तियों के साथ सरकार को भेज दिया। लेकिन आपत्तियों पर विचार के लंबित रहने के दौरान, 13 जुलाई, 1977 को अधिनियम के तहत विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई और सुधार न्यास को विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सरकार को योजना संख्या 72 को मंजूरी देने की शक्ति से वंचित कर दिया गया था। विकास प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (4) के तहत उक्त योजना को अधिसूचित किया और इसे 30 सितंबर, 1977 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 04 मई, 1978 को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (7) के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें आम जनता को सूचित किया गया था कि योजना के कार्यान्वयन के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। भूमि मालिकों ने इस योजना

और भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और तर्क दिया कि चूंकि इस योजना को राज्य सरकार द्वारा न्यास अधिनियम के तहत मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए विकास प्राधिकरण इस योजना को अपना नहीं सकता था। उच्च न्यायालय ने आपत्ति को बरकरार रखते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि कोई वैध योजना अस्तित्व में नहीं थी और विकास प्राधिकरण द्वारा की गई सभी कार्रवाई अवैध और गैरकानूनी थी। विकास प्राधिकरण ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस न्यायालय ने यह निर्धारित करते हुए कि उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की थी कहा कि:-

"9. यह विवाद में नहीं है कि विकास प्राधिकरण ने योजना सं. 72 को तैयार करने में अधिनियम की धारा 50 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। 24 अगस्त, 1977 का एक नोट तैयार किया गया जिसमें विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा यह संकेत दिया गया है कि योजना संख्या 72 को आपत्तियों को आमंत्रित किए बिना और उस पर विचार किए बिना अधिनियम की धारा 50 (4) के तहत अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि विकास प्राधिकरण को उन्होंने

विचार के लिए नई आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि न्यास अधिनियम के तहत सुधार न्यास द्वारा उस प्रक्रिया का पहले ही पालन किया जा चुका है। योजना को बचाने के लिए अधिनियम की धारा 87(1)(ग)(ii) के प्रावधानों पर भी भरोसा किया गया था।

10. हमें नहीं लगता कि विकास प्राधिकरण को इस मामले में एक शॉर्टकट का पालन करना उचित था। न्यास अधिनियम के तहत अपनाई गई प्रक्रिया अधिनियम की धारा 50 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जैसा कि पहले देखा गया है कि धारा 50 अधिनियम विकास के लिए योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करता है। एक मसौदा योजना तैयार करने के बाद विकास प्राधिकरण को जनता की आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने चाहिए थे। इंदौर के मास्टर प्लान के आलोक में प्राप्त सुझाव व आपत्तियों पर उचित विचार किया जाना चाहिए और। वास्तव में, यदि विकास प्राधिकरण इस योजना को अपनाना चाहता है तो जनता को भी योजना की जांच करने व मास्टर प्लान के आलोक में आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए। चूंकि विचाराधीन योजना न्यास अधिनियम, के

तहत एक अनुमोदित योजना नहीं थी विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता था।"

न्यायालय ने कहा कि;

"12. विकास प्राधिकरण के गठन पर दो अलग-अलग परिणाम आते हैं; सबसे पहले, जिस क्षेत्र में सुधार न्यास कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र में विघटन हो जाएगा; दूसरा, न्यास अधिनियम के तहत तैयार सुधार योजना को अधिनियम के तहत तैयार किया गया माना जाएगा जहां तक कि यह अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'तैयार योजना' शब्द अर्थ होना एक पूर्ण योजना होना चाहिए, जिसके लिये न्यास अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं क्योंकि हमारी राय में यह एक सही दृष्टिकोण है। लेकिन योजना संख्या 72 एक पूर्ण योजना नहीं थी। जिस पर सुधार न्यास द्वारा विचार किया गया था परंतु लेकिन सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। न्यास अधिनियम के तहत जब तक योजना को सरकार द्वारा

अनुमोदित नहीं किया गया हो, योजना की कोई वैधता नहीं है। चूँकि वह योजना न्यास अधिनियम के तहत केवल एक मसौदा योजना थी, जिसे न्यास अधिनियम की धारा 87(1) (ग)(ii) तहत प्रदान की गई कानूनी कल्पना का लाभ नहीं मिल सकता था। इसके अलावा भले ही योजना न्यास अधिनियम के तहत सरकार के अनुमोदन से तैयार की गई हो परंतु यदि यह योजना इंदौर के मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है तो इसे अधिनियम के तहत योजना नहीं माना जा सकता ना ही अधिनियम की धारा 87 (1) (सी) (ii) के तहत रक्षित योजना माना जा सकता है।”

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नई प्रक्रिया में अनुचित विलंब हो सकता है इस न्यायालय ने आगे कहा:

"13. हालांकि, मामले की परिस्थितियों में और देरी से बचने के लिए एक नई मसौदा योजना की तैयारी के लिए, हम इंदौर विकास प्राधिकरण की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं कि वह धारा 50 (3) के तहत योजना संख्या 72 के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगा और अधिनियम की धारा 50 (4) के तहत इस पर विचार करेगा और यदि

सलाह दी जाती है तो कानून के अनुसार आगे कदम उठाएगा।"

इस न्यायालय द्वारा एक और पहलू पर भी विचार किया गया और यह कहा गया कि;

"14. इसका एक और पहलू भी है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों की भूमि के अधिग्रहण को रद्द कर दिया है, लेकिन अपनाई गई प्रक्रिया में किसी भी अवैधता के आधार पर नहीं। इसलिए अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री परासरन ने प्रस्तुत किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं को बाधित नहीं किया जा सकता है और यदि योजना को अपनाया और लागू किया जाता है तो दावेदारों को वर्तमान दर पर मुआवजा दिया जाएगा। उक्त दलील उचित प्रतीत होती है और इससे अधिग्रहण की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। हम विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलील को अभिलेख पर रखते हैं। हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि योजना को अंततः ऊपर बताए गए अनुसार अनुमोदित किया जाता है तो दावेदारों को अधिनियम की धारा 50 (7) के तहत योजना के प्रकाशन की तारीख को बाजार मूल्य पर

अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मदन लाल में, योजना संख्या 72 को न्यास अधिनियम के तहत सुधार न्यास द्वारा तैयार किया गया था। न्यास द्वारा उन व्यक्तियों से जिनकी भूमि योजना के निष्पादन के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा न्यास में आपत्तियाँ दायर की गईं। न्यास द्वारा उन पर विचार किया गया। चूंकि न्यास के पास न्यास अधिनियम के तहत योजना को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उसने योजना को मंजूरी देने के लिए सरकार से संपर्क किया। सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही योजना और न्यास अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के तहत उस प्रभाव के लिए एक अधिसूचना के प्रकाशन पर, यह "निर्णायक साक्ष्य" बनती कि न्यास अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) में निर्धारित योजना को विधिवत तैयार और स्वीकृत किया गया था। लेकिन, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि सरकार इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विकास प्राधिकरण का गठन अधिनियम के तहत किया गया था, न्यास अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकी और योजना को मंजूरी नहीं दे सकी। इसके बाद विकास प्राधिकरण सुधार न्यास द्वारा तैयार की गई योजना के साथ आगे बढ़ा। इस योजना को 30 सितंबर, 1977 को अधिनियम की धारा 50 (4) के तहत अधिसूचित किया गया था। यह कहा

गया था कि इस योजना को "इंदौर नियोजित क्षेत्र के लिए विधिवत मंजूरी दी गई थी और यह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी"। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा यह परीक्षण किया गया कि क्या सुधार न्यास द्वारा तैयार की गई योजना संख्या 72 जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, को विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार को अपनाया जा सकता था? अधिनियम की धारा 50 के दायरे और दायरे और उसमें निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि विकास प्राधिकरण को अधिनियम के तहत आपत्तियों और सुझावों के लिए बुलाने की आवश्यकता है और इच्छुक आक्षेपकर्ताओं को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद, वे मसौदा योजना को मंजूरी दे सकते हैं। चूंकि विकास प्राधिकरण ने योजना संख्या 72 की तैयारी में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसलिए न्यायालय ने कहा कि कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं थी और अधिनियम की धारा 87(1)(ग)(ii) योजना को रक्षित नहीं करती है।

साथ ही, "एक निष्पक्ष मसौदा योजना तैयार करने में देरी से बचने के लिए", न्यायालय ने विकास प्राधिकरण को धारा 50 (3) के तहत योजना संख्या 72 के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने और अधिनियम की धारा 50 (4) के तहत उन पर विचार करने और कानून के अनुसार आगे के कदम उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

हस्तगत मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि योजना संख्या 78 न्यास अधिनियम के तहत सुधार न्यास द्वारा तैयार की गई थी। यह भी सत्य है कि न्यास द्वारा उन व्यक्तियों को नोटिस जारी करके आपतियां आमंत्रित की गई थीं, जो 5 मई, 1977 को योजना से प्रभावित होने वाले थे। यह भी सत्य है कि आपतियाँ 1 जुलाई, 1977 को दायर की गई थीं। वे सभी कदम 13 जुलाई, 1977 से पहले यानी विकास प्राधिकरण की स्थापना से पहले उठाए गए थे। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और वह यह है कि 22 अगस्त, 1977 को विकास प्राधिकरण द्वारा एक बार फिर विरोध करने वालों को एक नोटिस जारी किया गया था। अभिलेख पर यह भी है कि हालांकि आपत्ति करने वालों द्वारा पहले आपतियां दायर की गई थीं, लेकिन 3 सितंबर, 1977 को फिर से नई आपतियां दायर की गईं। उन आपतियों में कहा गया था कि आवेदकों को पहले नोटिस प्राप्त हुए थे और उन्होंने योजना संख्या 78 के खिलाफ अपनी आपतियां दायर की थीं। लेकिन एक बार फिर उन्हें 23 अगस्त, 1977 को इस तरह का नोटिस मिला था, वे आपतियां दर्ज करा रहे थे। यह भी अभिलेख में है कि उन आपतियों को विकास प्राधिकरण, इंदौर के कार्यालय में सुना गया था और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा "नोट शीट" को तैयार और हस्ताक्षरित किया गया था। तब योजना को मंजूरी दी गई जाकर स्थानीय समाचार पत्रों के

साथ-साथ सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप दिया गया और प्रकाशित किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं भी जारी की गईं।

उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत भी प्रक्रिया का पालन किया गया। नोटिस जारी किए गए, आपत्तियां प्रस्तुत की गईं और प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया गया। और उसके बाद निर्णय लिया गया। जैसा कि *मदन लाल* वाले मामले में पहले ही उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने विकास प्राधिकरण को योजना संख्या 72 के खिलाफ आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी और प्राधिकरण को विरोध करने वालों को सुनने के बाद कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने की अनुमति दी। चूंकि इस मामले में, उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था, प्रभावित पक्षों द्वारा विकास प्राधिकरण को आपत्तियां प्रस्तुत की गईं, उन पर विचार किया गया और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए योजना को मंजूरी दी गई। इस प्रकार न केवल अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया था, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन किया गया था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा की गई कार्रवाई अवैध या गैरकानूनी थी। चूंकि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने विकास प्राधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने प्राधिकरण की कार्रवाई को मंजूरी दी और संशोधन को

खारिज कर दिया। नतीजतन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गईं और कानून के अनुसार प्रकाशित की गईं। उन कार्यों को भी अवैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, हम उत्तरदाताओं की दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं कि योजना संख्या 78 अवैध या गैरकानूनी थी।

पूर्वगामी कारणों से, हमारी राय में, सभी अपीलें अनुमत किये जाने योग्य हैं तथा अनुमत की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द व अपास्त किया जाता है और इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार और अनुमोदित योजना संख्या 78 को कानूनी, वैध और कानून के अनुरूप अभिनिर्धारित किया जाता है। योजना के अनुसरण में की गई सभी परिणामी कार्यवाहियों को भी कानूनी और विधिसम्मत अभिनिर्धारित किया जाता है।

दीवानी अपीलों को तदनुसार निस्तारित किया जाता है। हालाँकि, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों को अनुमत किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शैलेन्द्र राज गोस्वामी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।